सांसद अभिषेक की गिरफ्तारी पर रोक

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी

आकाश विजयवर्गीय को जवाब पेश करने मोहलत

जबलपुर, 8 दिसंबर. मप्र हाईकोर्ट ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रखी है.

वहीं कोर्ट ने आकाश विजयवर्गीय को जवाब पेश करने मोहलत प्रदान की है. जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की है. उल्लेखनीय है कि

मानहानि का केस भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने दायर किया है. नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था. इस बयान को लेकर आकाश ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था. अभिषेक की ओर से याचिका दायर कर दलील दी गई थी कि वे वर्तमान में टीएमसी सांसद हैं और उनके फरार होने की संभावना नहीं है. उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत प्रदान किए जाने का आवेदन दिया था, किंतु कोर्ट ने उस पर विचार न करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. मानहानि का मुकदमा अनुचित है. ऐसा इसलिए क्योंकि बयान को तोड़ मरोड़ कर समाचार बनाए गए थे.

एसपी से मांगा जवाब

रीवा के डभौरा थाना अन्तर्गत एक वर्ष पूर्व आदिवासियों के खेत की बाड़ी तोड़ कर मारपीट किये जाने के मामले में कार्यवाही न किये जाने को लेकर पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट की शरण ली. जहा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए.के पालीवाल द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक सहित अन्य को चार सप्ताह के भीतर न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है. मामले की पैरवी पीड़ित संजय कोल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह द्वारा की गई.

लागू नहीं होता इंडियन एविडेंस एक्ट

जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि शादी के मामले में इंडियन एविडेंस एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं होता है. हाई कोर्ट जस्टिस विशाल धगट तथा जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ ने 65-बी सर्टिफिकेट के बिना कुटुम्ब न्यायालय के द्वारा तस्वीर को देखते हुए एडल्टरी के आधार पर तलाक की डिक्री जारी करने में कोई गलती नहीं की है. युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ दायर अपील को खारिज कर दिया.

स्कूल में बाइबल पाठ को लेकर विवाद

बजरंग दल की शिकायत के बाद किया निरीक्षण

सिवनी, 8 दिसंबर. शहर के मिशन स्कूल में विद्यार्थियों को कथित रूप से बाइबल के पद पढ़ाने और धार्मिक प्रार्थना करवाने को लेकर रविवार को विवादित स्थिति बन गई.

मामले की सूचना के बाद बजरंग दल सिवनी के पदाधिकारी स्कूल पहुँचे और प्रबंधन से शिकायतों का विवरण साझा करते हुए स्पष्टिकरण मांगा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन भी मौके पर पहुँचा और स्कूल का निरीक्षण किया. शिकायत के आधार पर प्रशासन का निरीक्षण बजरंग दल द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर 08 दिसंबर 2025 को पुलिस थाना प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा संगठन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मिशन स्कूल का औपचारिक निरीक्षण (पंचनामा) किया गया. निरीक्षण के दौरान इंचार्ज प्रिंसिपल ने अधिकारियों को बताया कि सुबह की प्रार्थना के अंत में बाइबल की किताब नया नियम में से केवल नीति वचन के 1-2 पद नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़ाए जाते हैं. एक ईसाई शिक्षक द्वारा यह वाचन कराया जाता है. बंधन ने कहा कि इसके अलावा प्रतिदिन राष्ट्रगान और भारत माता की जय के नारे भी लगाए जाते हैं. निरीक्षण के दौरान मौजूद छात्रों ने प्रशासन को बताया कि सुबह की प्रार्थना में हे परमपिता परमेश्वर से संबंधित प्रार्थना कराई जाती है.

ओएचई यान ने ट्रैक मशीन को टक्कर मारी

दो कर्मचारी गंभीर, हिंगोरिया फाटक के पास हुआ ब्रेक फेल

नीमच, 8 दिसंबर. जिले में सोमवार दोपहर हिंगोलिया फाटक के पास रेलवे पटरी पर बड़ा हादसा हो गया. ट्रैक रिपेयरिंग के लिए खड़ी एक ट्रैक मशीन में पीछे से ओएचई (ओवरहेड इक्विपमेंट) निरीक्षण यान तेज रफ्तार से जा घुसा.

हादसा दोपहर करीब एक बजे हुआ, जिसमें दो कर्मचारी घायल हुए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब एक बजे निरीक्षण यान के अचानक ब्रेक फेल हो गए

थे. नियंत्रण बिगडऩे के बाद यान सीधे खड़ी ट्रैक मशीन से टकरा गया और उसे कुछ दूरी तक घसीटता हुआ ले गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक मशीन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में घायल कर्मचारियों को तुरंत शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर रूप से घायल दो कर्मचारियों की पहचान विष्णु पिता नारायण राठौर

दो घंटे में हटाया

हादसे के बाद पटरी पर खड़ी निरीक्षण यान और ट्रैक मशीन को हटाने में दो घंटे से ज्यादा का समय लगा. रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. रेलवे विभाग ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई प्रक्रिया में है और दुर्घटना के तकनीकी कारणों की भी जांच की जा रही है.

(32), निवासी रेलवे कॉलोनी नीमच, और रामनरेश पिता सुखलाल मीणा (22), निवासी मंदसौर, के रूप में हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को नीमच जिला चिकित्सालय से

डीआईजी ने बरगवां और कोतवाली का किया निरीक्षण

सिंगरौली, 8 दिसम्बर. जिले में आज रीवा रेंज के डीआईजी हेमंत चौहान पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार दौरा हुआ। इस दौरान उन्होंने थाना बरगवां, कोतवाली बैजन पहुंचकर आवश्यक निरीक्षण किया। डीआईजी ने कोतवाली के रिकॉर्ड रूम, सीसीटीएनएस कक्ष एवं ऑनलाइन प्राथमिकी एफआईआर पंजीयन व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान डीआईजी हेमंत चौहान ने सबसे पहले बरगवां थाना पहुंच वहां के व्यवस्थाओं का जायजा लिए.

ग्राम कालापाठा में ग्रामीणों ने श्रमदान कर मांजरी नदी पर बनाया 'बोरी बंधान'

नवभारत न्यूज

खण्डवा। खण्डवा जिले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशन में ''मिशन अमृत संचय'' अभियान के तहत जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत नदी नालों में बहते पानी को रोककर आसपास के क्षेत्र का जलस्तर बढ़ाने के उद्देश्य से गांव-गांव में बोरीबंधान संरचनाएं बनाई जा रही हैं।

इसी क्रम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा रविवार को खालवा विकासखंड के ग्राम कालापाठा में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने माजरी नदी पर श्रमदान कर बोरी बंधान संरचना निर्मित की। कार्यक्रम का आयोजन नवांकुर संस्था - सत्य प्रबोधन सामाजिक शैक्षिक संस्थान एवं एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कालापाठा के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर विकास खण्ड समन्वयक श्री ललित पवार ने जल संचय अभियान के संबंध में अपने विचार रखे।

बोरीबन्धान निर्माण के लिए आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कालापाठा से ईश्वर सिंह पटेल, परामर्शदाता तीरथ सिंह देवड़ा, एवं सीएम सीएलडीपी पाठ्यक्रम के बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू के छात्र भी उपस्थित थे।

एक नजर में

किसानों का प्रदर्शन, सड़क को किया जाम

शिवपुरी, 8 दिसंबर. जिले के पिछोर अनुविभाग के मायापुर थाना क्षेत्र के मुंहासा गांव के पास किसानों ने खनियाधाना-ईसागढ़ रोड पर चक्काजाम कर दिया. तीन दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने से नाराज किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे आवागमन बाधित रहा. किसानों के अनुसार, बिजली न मिलने से उनकी फसलें सूखने की कगार पर हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है. घरों में भी बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. ग्रामीणों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है, लेकिन विभाग द्वारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा है. किसानों ने आरोप लगाया कि जब वे समस्या की जानकारी लेने बिजली फीडर पर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला. कर्मचारियों ने भी बिजली आपूर्ति न होने का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया. किसानों का कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है. आक्रोशित किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होगी, तब तक चक्काजाम जारी रहेगा. इस प्रदर्शन के कारण खनियाधाना-ईसागढ़ रोड पर ट्रकों, बसों और निजी वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया.

खेलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दिया बढ़ावा

सीधी 8 दिसम्बर. जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत वूशु प्रतियोगिता 2025 का सफल आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया. प्रतियोगिता में जिले के बालक-बालिका खिलाडिय़ों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. मैदान पर युवा प्रतिभाओं की ऊर्जा, अनुशासन और जुझारूपन साफ झलक रहा था. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने खिलाडिय़ों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में खेलों का माहौल नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया जैसे जनआंदोलनों को जाता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की खेल प्रतिभाओं पर जिस विश्वास के साथ नीतियां तैयार की हैं, उसका परिणाम यह है कि देश का युवा आज विश्व स्तर पर भारत का परचम लहरा रहा है. सांसद खेल महोत्सव भी उसी राष्ट्रीय विजन की कड़ी है, जो हर जिले, हर गांव की प्रतिभा को मंच देने का प्रयास है. सांसद ने कहा कि खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जीवन दृष्टि, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और अनुशासन का माध्यम है. उन्होंने खिलाडिय़ों, प्रशिक्षकों और आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सीधी जिले की प्रतिभाएं लगातार आगे आ रही हैं और आने वाले समय में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जिले का नाम रोशन करेंगी.

पत्नी ने अंत्येष्टि के लिए मांगा पति का शव

जबलपुर, 8 दिसंबर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बिना सुरक्षा मानक खदान में मिट्टी डालने से मौत के मामले में जवाब-तलब किया है.

इस सिलसिले में भारत सरकार, एसईसीएल प्रबंधन, ठेका कंपनी आरकेटीसी, थाना प्रभारी धनपुरी शहडोल, कलेक्टर शहडोल, डीजीएमएस जबलपुर को नोटिस जारी किए गए हैं. याचिकाकर्ता पत्नी ने अंत्येष्टी के लिए पति का शव मांगा है. दरअसल याचिकाकर्ता मऊगंज जिला अंतर्गत ग्राम खजुरहन निवासी आरती कुशवाहा की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पति अनिल कुशवाहा की 11 अक्टूबर 2025 को साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के सोहागपुर एरिया की अमलई ओसीएम में प्रबंधन की लापरवाही से मौत हो गई थी, वे ट्रिपर हाइवा चालक थे. एसईसीएल के द्वारा आरकेटीसी कंपनी को ठेका दिया गया था. याचिकाकर्ता के पति ठेका कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रहे थे. उस दिन काफी बारिश हुई थी. बावजूद प्रबंधन व ठेका कंपनी द्वारा टार्गेट पूरा करने बिना सुरक्षा मानकों के मिट्टी डालने के कार्य में लगा दिया. वह खदान 15 वर्ष पूर्व बंद हो गई थी. 90 फिट गहरी थी. उसमें बारिश का पानी भरा था. बारिश के कारण मिट्टी की सतह ठोस नहीं थी.

एसईसीएल के सोहागपुर प्रबंधन ने कोयला निकालने के बाद खदान को प्लान के अनुसार बंद नहीं किया गया. साथ ही भारत सरकार द्वारा समय-समय पर खदान के बंद करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया. घटना के समय कोई भी सुरक्षा संबंधी उपाय नहीं किए गए थे. प्रबंधन द्वारा सात दिन के अंदर मृतक की अवशेष अर्थात कंकाल सौंपने का भी आश्वासन दिया गया था. पंचनामा बनाया था किंतु संपूर्ण पानी की निकासी नहीं हो सकी. यहां तक कि थाना धनपुरी द्वारा केवल पांच लोगों के खिलाफ मामूली धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई हैं.

कांग्रेस का इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन

इंदौर. युवक कांग्रेस के नेतृत्व में भाजपा सरकार पर जनविरोधी नीतियों के आरोप लगाते हुए विरोध में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया. पुलिस ने वाटर कैनन का का इस्तेमाल किया.

अवैध रूप से परिवहन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

ग्वालियर. जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लगे वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये कलेक्टर रुचिका चौहान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर रुचिका चौहान ने अवैध रूप से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं आरटीओ को पत्र लिखा है. पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेक्टर-ट्रॉलियां एवं ट्रॉलियों में साईड पट्टे लगाकर ओवर हाईट रेत, गिट्टी, ईटें आदि लेकर अनाधिकृत रूप से संचालित हैं.

महिला उत्पीड़न के आरोपों से घिरे अधिकारी

रीवा, 8 दिसम्बर. मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एवं अधीक्षण यंत्री संजीव कुमार मेहरा फिर चर्चा में है. उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है. एक और शिकायत के बाद जांच का सामने करना पड़ेगा.

उन पर महिला उत्पीडन से जुड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है. जिस पर पर्यावरण विभाग की उप सचिव वर्षा सोलंकी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एए मिश्रा को पत्र लिखकर जांच करने के लिये कहा है. इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि अखिल भारतीय ब्राम्हण महासभा के अध्यक्ष की ओर से संजीव मेहरा के विरूद्ध शिकायत पत्र सौपा गया है, जिसमें गंभीर प्रकृति आरोप लगाए गए है. कुछ समय पहले ही मेहरा की पोस्टिंग रीवा में हुई है और यहा आते ही विवाद शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि पूर्व में वह दूसरे जिले में पदस्थ रहे है तो वहा पर एक महिला सहकर्मी के शोषण का आरोप लगा था. उस महिला के परिवार से जुड़े लोगो ने भी शिकायत की है. साथ ही अब ब्राम्हण महासभा की ओर से दिये गये ज्ञापन के बाद संजीव मेहरा की मुश्किले बढऩे लगी है. कुछ समय पहले सिंगरौली में पदस्थ रहे है वहा भी एक अन्य प्रकरण में इसी तरह के आरोपो से उनका सामना हुआ था. जिस पर जांच रिपोर्ट भी आई और उसमें उन्हे तत्काल दूसरी जगह पदस्थ करने की अनुशंसा की गई थी, इसी वजह से रीवा में पदस्थ किया.

महिला सहकर्मी ने भोपाल पहुंचकर मुख्यालय के अधिकारियों से शिकायत की थी. जिसमें कहा था कि वह काम के दौरान अभद्रता और छेडख़ानी करते है. एक मामले के बाद दूसरे मामले के सामने आने के बाद मेहरा की मुश्किले बढ़ गई है. बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों ने भी अलग से शिकायत की है, जिससे अधीनस्थो के साथ बर्ताव सही न होने का आरोप शामिल है. हाल ही में रीवा क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में पदस्थ हुए है. इसके पहले भी मेहरा रीवा में रह चुके है. तब भी कुछ कर्मचारियों के साथ तालमेल ठीक नहीं थे और विवाद की स्थित निर्मित हुई थी.

एसआईआर पर कांग्रेस सचिव ने कार्यकर्ताओं को किया सतर्क

खरगोन, 8 दिसंबर. जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी उषा नायडू ने बैठक ली. इसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी सरकार एसआईआर के माध्यम से विपक्षी दलों को डराना चाहती है.

सरकार की यह मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर बूथ पर एसआईआर की निगरानी करेंगे. पूर्व मंत्री डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ ने कहा कि खरगोन जिले में एसआईआर प्रक्रिया को कांग्रेस के संगठन के साथ-साथ हम लोग भी बारीकी से नजर रखे हुए हैं और यदि किसी

प्रकार की गड़बड़ी होती है तब उसके पास सख्त एक्शन लेंगे. पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रवि जोशी ने कहा कि जैसे ही ड्रॉप प्रकाशित होगा, वैसे ही जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विधानसभा के प्रत्याशी, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और विधानसभा के प्रभारी मिलकर के बूथों का दौरा करेंगे. जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नायक ने संगठन की जानकारी दी.

यात्रा शहर में रथ यात्रा के साथ दो पहिया वाहन रैली निकाली

स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने लिया संकल्प

झाबुआ, 8 दिसंबर. कन्फेडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान अंतर्गत स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग से शहर में स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा का आयोजन किया गया.

अभियान के तहत राजवाड़ा पर सभी ने 'स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने एवं विदेशी सामग्रीयों का पूर्णत: बहिष्कार' का सामूहिक संकल्प लिया. बाद राजवाड़ा से रथ यात्रा के साथ दो पहिया वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई. जानकारी देते हुए कैट एसोसिएशन जिलाध्यक्ष मुकेश जैन 'नाकोड़ा' एवं जिला

महामंत्री पंकज जैन 'मोगरा' ने बताया कि कैट एसोसिएशन एवं स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी 8 दिसंबर, सोमवार शाम 5 बजे शहर के मध्य राजवाड़ा पर एकत्रित हुए. यहां स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा के सम्मुख कैट के जिला महामंत्री पंकज जैन 'मोगरा' ने उपस्थित कैट पदाधिकारी-सदस्यों और शहर के व्यापारियों और आमजनों को देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु 'स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार' करने का सामूहिक संकल्प दिलवाया गया.

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और केसरिया ध्वजों के साथ वाहन रैली निकाली. इस दौरान रथ यात्रा के आगे मातृ शक्ति के रूप में कैट एसोसिएशन से जुड़ी सपना संघवी एवं भारती जैन 'मोगरा' ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया. अतिथि के रूप में एसडीएम झाबुआ भास्कर गाचले ने झंडी दिखा कर स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा के साथ दो पहिया वाहन रैली को रवाना किया. रैली आगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और पीछे केसरिया ध्वज के साथ एसो. सदस्य रैली में शामिल हुए.

शिवपुरी के भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बिगड़े बोल

शिवपुरी, 8 दिसंबर. भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने जहां कांग्रेस को गधा कह दिया वहीं कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह ने अंधा बांटे रेवड़ी वाली कहावत कहते हुए भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया. अब इन दोनों विधायकों के बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. साथ ही राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं. कांग्रेस के पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह ने कहा कि अनुपूरक बजट में क्षेत्र के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई. इससे साबित होता है कि भाजपा सरकार अंधा बांटे रेवड़ी, चीन-चीन के दे वाली कहावत को निभा रही है.

अवैध पार्किंग व अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान

नवभारत न्यूज

खंडवा। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता चालकों के विरूद्ध दिनांक 26.11.2025 से 10.12.2025 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

इसी तारतम्य में सोमवार को विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट खंडवा व पुलिस अधीक्षक खंडवा के निर्देशन एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात अनिल कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यातायात निरी.देवेन्द्र सिंह परिहार व प्रभारी थाना कोतवाली उनि मनोज दवे के द्वारा अपने स्टाफ के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन के सामने 'नो पार्किंग' क्षेत्र से अवैध पार्किंग व अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई।

इस अभियान में रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी अवैध ऑटो वाहनों को जब्त कर थाना यातायात ले जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई।

जिला पुलिस की यह कार्यवाही रेल यात्रियों की सुविधा, ट्रैफिक प्रवाह व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। उक्त अभियान के तहत ऑटो चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर, वाहन मालिकों को चेतावनी दी गई, कि भविष्य में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। रेलवे स्टेशन की पार्किंग मे 25 ऑटो चालक पूर्ण वर्दी मे एवं ऑटो के सभी दस्तावेज साथ रख कर पार्किंग एरिया में पिक एण्ड ड्रॉप करने हेतु प्रवेश कर सकेंगे।